न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या 64/2020

अनवान : –

1.हाकम अली पुत्र शेर मोहम्मद जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 23 नोहर तहसील नोहर।
2. महबुब पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
3. मौसम पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
4. रोशन पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
5. बिलाल पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
6. रूस्तम पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
7. असगर पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर तहसील नोहर
8. फारूख पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
9 अश्क अली पुत्र अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर
10. जैनम पुत्री अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
11. आबिदा पुत्री अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
12. जैतुन बेवा अहमद अली जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
13. सिकन्दर पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
14. अब्दुल अजीज पुत्र मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर
15. गुलजारा पुत्री मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर –फौत

15/1. सलामुदीन पिता माता गुलजारा पत्नि सलामुदीन मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर फौत

15/2 रूकसाना पुत्री माता गुलजारा पत्नि सलामुदीन मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर

15/3 मुश्ताक पुत्र माता गुलजारा पत्नि सलामुदीन मेहरदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर

15/4 मैमुना पुत्री माता गुलजारा पत्नी सलामुदीन मेहरदीन जाति कुम्हार मुलसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर

15/5 उस्मान अली पुत्र माता गुलजारा पत्नी सलामुदीन मेहरदीन जाति कुम्हार मुलसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर

15/6 रियासत अली पुत्र माता गुलजारा पत्नी सलामुदीन मेहरदीन जाति कुम्हार मुलसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर

15/7 शबाना पुत्री माता गुलजारा पत्नी सलामुदीन मेहरदीन जाति कुम्हार मुलसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर

15/8 फारूक अली पुत्र माता गुलजारा पत्नी सलामुदीन मेहरदीन जाति कुम्हार मुलसलमान निवासी वार्ड सं. 27 नोहर तहसील नोहर

15/9 नजमा पुत्री मेहरदीन पुत्र निजामदीन जाति कुम्हार मुसलमान निवासी वार्ड स0 27 नोहर तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:10 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]नाम

1. देवीलाल पुत्र दुलीचन्द [illegible] नोहर
2. पुरूषोतम पुत्र रामकिशन [illegible] भादरा तहसील भा[illegible]
3. सरवन कुमार पुत्र रखाराम जाति महा[illegible] अग्रवाल निवासी [illegible]ला तहसील भटिण्डा पंजाब

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

4. कोरचन्द पुत्र रखाराम जाति महाजन अग्रवाल निवासी खिमोवाला तहसील भटिण्डा पंजाब

असल गैरसायलान

5. रजका पुत्र नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
6. सरीफ पुत्र नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
7. महबुब पुत्र नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर
8. रोशनी पुत्री नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान जाति कुम्हार मुसलमान निवासी नोहर तहसील नोहर।
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर।

– तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता **सायलान**
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता **गैरसायलान**

निर्णय दिनांकः 26/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीया ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि मौजा चक 1 एन. एचआर ए तहसील नोहर के प न. 306/437 मु0न0 44 के किला न० 3 की 1 बीघा, 8 की 1 बीघ, 9 की 1 बीघा, 12 की 1 बीघा, कुल 4 बीघा भूमि स्थित है जिसमें मेहरदीन वल्द निजामदीन, नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान, अहमद अली हाकम अली पि० शेर मोहम्मद को दिनांक 28.5.1963 को बअदालत डी.सी. साहब भाखडा कैम्प पी. डब्ल्यु.डी. रेस्ट हाउस नोहर द्वारा रोही मजमें आम निलामी बोली में आवटित हुई थी। उक्त भूमि की मजमें आम में खुली बोली लगाई गई थी। उक्त भूमि की कब्जा काश्त वरवक्त आवंटन उपरोक्त को सम्भला दिया गया था। जिसके वे उपोक्त मेहरदीन वल्द निजामदीन नूर मोहम्मद पुत्र सुलेमान, अहमद अली, हाकम अली पि. शेर मोहम्मद खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि निलामी में आवंटित होने के बाद उक्त भूमि की समस्त किश्ते उक्त चारो द्वारा जमा करवाई गई थी और कब्जा काश्त राज वरवक्त निलामी आंवटन के पक्षकारो यानि मेहरदीन वल्द निजामदीन, नूर मोहम्मद वल्द सुलेमान, अहमद अली, हाकम अली पि. शेर मोहम्मद को सम्भला दिया गया था। तब से लेकर आज तक उक्त भूमि इन्ही के कब्जा काश्त में है।

क्त भूमि सैल रजि. में दर्ज की जाकर उक्त भूमि की समस्त किश्ते अदायगी करने के बाद उनके नाम खातेदारी दर्ज की गई तथा फर्द निलामी तहरीर इकरारनामा नियम 22 (घ) बअदालत डी.सी. भाखण्ड कैम्प पी.डब्ल्यु.डी रेस्ट हाउस नोहर दिनाक 28.5.1963 इसके अलावा पर्चा खतौनी चक 1 एन.एचआर ए [illegible] 25.5.1964 उपरोक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य से भली भान्ती साबित है कि वाद भूमि [illegible] सं. 2 ता 11 के पिता व सायल सं. 12 के पति व नमयदान सं. 13 [illegible] के पिता मेहरदीन व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 के पिता नूरमोहम्मद प्रत्येक 1/4, 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे अर्थात मेहरदीन वल्द निजामदीन का 1/4 हिस्सा, नुर मोहम्मद वल्द सुलेमान का 1/4

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:10 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

काश्तकार थे इसलिए सायल व सायलान सं. 2 ता 12 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। रवक्त भू-प्रबन्धक विभाग द्वारा अमलामाल राजस्व महकमा के अधिकारियों से मिली भगत कर गैरसायलान सं. 3 व 4 ने वाद भूमि के पर्चा खतौनी / सैटलमेन्ट पर्चा में कॉटछाट करके अपना नाम कतई अनुचित व गलत तरीके से दर्ज करवा लिया जबकि गैरसायलान सं. 3 व 4 राज. के निवासी नहीं थे। तथा पंजाब राज्य के रहने वाले थे। दुसरे प्रांन्त के होते हुऐ वाद भूमि अपने नाम सैटलमेन्ट विभाग के अधिकारियों से मिली भगत करके दर्ज करवा ली। जबकि वाद समि सायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण स. 5 ता 9 को आवंटित भूमि थी प्रथम उक्त आवंटन निरस्त करवाऐ बिना तथ किसी सक्षम प्राधिकारी बअदालत के समक्ष सायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 के पक्ष में हुऐ (आवंटन को कही भी कभी भी चौलेज नही किया गया है उक्त आवंटन बहाल है तथा उक्त आवटन को कभी भी निरस्त नही किया गया तथा सायलान व दावा में तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 के पक्ष में खातेदारी सनद भी जारी हो चुकी थी। तथा वाद भूमि पर सायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण का कब्जा था एवं आज भी निरन्तर चला आ रहा है। सायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण कस्बा नोहर के रहने वाले है तथा मजमें आम में उच्चत्तम बोली में उनको आंवटित हुई है। इसके विपरित गैरसायलान सं. 3 व 4 ने कभी भी कोई बोली नही लगाई तथा कैम्प डी.सी.सी. के समक्ष हाजिर नही हुवे तथा उन्होने कभी भी किश्ते नही भरी ना ही वे राजस्थान राज्य के निवासी है। दुसरे राज्य में रहने वाले व्यक्तियों को कानूनी तौर पर भूमि आंवटित नही की जा सकती है ना ही पंजाब राजय के व्यक्तियों को राजस्थान की भूमि का बैचान हो सकता है इन कानूनी बातो को नजर अन्दाज करते हुऐ सैटलमेन्ट विभाग ने गैरसायलान सं. 3 व 4 को गैर कानुनी लाभ पहुंचाते हुऐ उनका नाम दर्ज किया गया है जो सायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 के हक हूकक के विपरित एवं बैजा है सैटलमेट अधिकारी को इन्ट्री बदलने का अधिकार नही था इसलिए सायलान यह कि गैरसायलान सं. 3 व 4 ने वाद भूमि में 3/4 हिस्सा जो सायल सं. 1 का 1/4 हिस्सा व सायलान सं. 2 ता 12 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा सायलान सं. 13 ता 16 का सयुक्ततः 1/4 हिस्सा भूमि व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 का सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार थे। तथा अनुचित तरीके से गैरसायलान सं. 3 ता 4 ने अपने नाम दर्ज करवाकर शुरू से ही शुन्य नुमाईशी वैयनामा व नुमाईशी नामान्तरण दर्ज करवाकर सायलान सं. 13 ता 16 के द्वारा बैचान करना बताया है तथा खातेदार कालम में गैरसायलान सं. 3 ता 4 का खातेदार के कॉलम में गैरसायलान सं. 3 व 4 नाम दर्ज था जो गैरसायलान सं. 3 व 4 के हिस्सा गलत दर्ज करवा रखा है। मान्तरण सं. 25/50 के कॉलम सं. 5 में मेहरदीन का नाम दर्ज नही है। अपितु गैरसायलान सं. 3 व 4 का नाम दर्ज है जब राज खातेदार के कॉलम में नाम ही दर्ज नहीं है तो कॉलम सं. 15 व 16 में बैचान करना अली विधि विरूद्ध दर्ज किया है सायलान सं. 13 ता 16 के पिता मेहरदीन कभी भी कोई भूमि का हिस्सा बैचान नही किया गया था। ेही मौजा चक 1 एन.एचआर.-ए तहसील नोहर के प.न. 306/437 मु0न0 44 के किला न० 3 की 1 बीघा, 8 की 1 बीघा, 9 की 1 बीघा, 12 की 1 बीघा, कुल 4 बीघा भूमि [illegible] भूमि आवंटित भूमि है तथा सैल रजि. में इनके को जारी की गई तथा खातेदारी [illegible] 1976 को जारी की गई समस्त खातेदारी हकुक प्राप्त हो [illegible] विभाग द्वारा गैरसायलान सं. 3 व 4 का नाम कतई गलत व अनुचित तौर से दर्ज किया [illegible] था गैरसायलान सं. 3 व 4 को मेहरदीन द्वारा बैचान बताया है जबकि नामान्तरण सं. 50 दिनांक 29.10. 1977 में मेहरदीन का कालम सं.

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

5 में बतौर खातेदार नाम तक दर्ज नही है तो बैचान केसे हुवा स्पष्ट नही किया है इसलिए सायलान के आवटित भूमि पश्चातवर्ती क्योंकि सायलान व दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण को कभी भी वाद भूमि का कोई वैचान नही किया दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के नाम रोही मौजा मु.न. 44 के किला न० 8 की 0.2530 हैक्ट भूमि में पूर्व से खातेदार काश्तकार दर्ज के प.न. 306/437 मु.न. 44 के किला न0 3 की 0.2530 हैक्ट 9 की 0.2530 हैक्ट 12 की 0.2530 हैक्ट 19 की 0.2530 हैक्ट 21 की 0.2530 हैक्ट 22 की 0.2530 करवाकर सायल सं.1 व सायलान सं. 2 ता 12 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा, के खातेदार काश्तकार है। तथा सायलान सं. 13 ता 16 सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार की घोषणा करवापाने के अधिकारी है। तथा इसके अतिरिक्त दावा में दर्ज तरतीबी प्रतिवादीगण सं. 5 ता 9 का सयुक्ततः 1/4 हिस्सा के खातेदार काश्तकार पूर्व से दर्ज है जो यथावत रखने के अधिकारी है। उक्त भूमि गैरसायल के नाम अनुचित तरीके से दर्ज होने का फायदा उठाकर गैरसायलान उक्त भूमि में से सायल व दावा में दर्ज प्रतिवादीगण को बेदखल करने पर आमादा है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होगी इसलिए गैरसायलान के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वे रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 64/61 के प0न0 306/437 मु0न0 44 के किला न0 3, 9, 12 की 0.7590 हैक्ट भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 64/61 के प0न0 306/437 मु0न0 44 के किला न0 3, 9, 12 की 0.7590 कृषि भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त भूमि में निर्माण कार्य न करे एवं रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि मेहरदीन आदि को चक 1 एन.एच.आर.ए तहसील नोहर के प.न. 306/437 मु.न. 44 के किला नं. 3,9,12 की भूमि आवंटन नही हुयी थी चुकि मिन उतरदाता उक्त किलो का खातेदार काश्तकार है उक्त भूमि मोहम्मद वल्द सुलेमान की खातेदारी कृषि भूमि थी को बैचान श्रवण कुमार व कोरसिंह पुत्र रखाराम जाति महाजन को बैयनामा करवा दिया उसके पश्चात उनके नाम से नामान्तरण जो दिनांक 27/10/1977 को स्वीकृत हो गया तथा श्रवण कुमार वगैरह ने उक्त कृषि भूमि पुरूषोतम वल्द रामनिवास को बेय कर दी जिसका नामान्तरण सं. 20/12/1995 को दर्ज हो गया तथा पुरुषोतम ने उक्त भूमि जो उनके कब्जा काश्त की थी चक 1 एन.एचआर ए तहसील नोहर के प.न. 306/437 मु.न. 44 के किला नं. 3.9,12 का बैयनामा मिन उतरदाता को करवा दिया तथा जिसका नामान्तरण मिन उतरदाता के दिनांक 22/6/2011 को नामान्तरण सं. 523 दर्ज है तथा अब वादग्रस्त भूमि मिन उतरदाता के कब्जा काश्त में चली आ रही है वादग्रस्त कृषि भूमि कभी भी सायल व तरतीबी गैरसायलान सं. 5 ता 8 के स्वय या उनके पूर्वजो के नाम से नही रही है तथा ना ही उनका मिन उतरदाता की भूमि पर कब्जा [illegible] भूमि सायलान व गैरसायलान सं. 5 ता 8 को आवंटित नही हुयी थी तथा सायलान [illegible] 5 ता 8 के वारिसान द्वारा किस भी की किस्ते जमा करवायी तथा उनको [illegible]टित हुयी तथा कौनसी भूमि आवंटित हुयी ज्ञान के अभाव में स्वीकार नही है तथा सायलान [illegible] गैरसायलान सं. 5 ता 8 मिन उतरदाता की खरीद शुदा भूमि पर किसी कदर कोई घोषणा करवापाने के अधिकारी नही है चुंकि वादग्रस्त

उपखण्ड अधिकारी
नोहर
Rahul

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:10 IST
Reason: SelfAttested

भूमि मिन उतरदाता के नाम से राजस्व रिकाड में दर्ज है तथा कब्जा काश्त में है गैरसायलान सं. 2 ता 4 का वादगस्त भूमि से कोई सरोकार नही है तथा ना ही उनके नाम से उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है सायलान रिकार्ड में नाम कलमजन करवापाने के किसी कदर अधिकारी नही है। चूंकि सायलान के द्वारा अपने वाद पक्ष में वैयनामा खारीज की इस्तदुआ चाही है जो कि न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है जो कि सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वादग्रस्त भूमि चक 1 एन.एच.आर.–ए तहसील नोहर के प.न. 306/437 मु.न. 44 के किला नं. 3, 9,12 की भूमि नूर मोहम्मद को आवंटन नही हुयी जबकि वादग्रस्त भूमि मोहम्मद वल्द सुलेमान को आवटन हुयी थी उक्त नाम गलत रूप बना कर वाद पेश किया है जबकि वादग्रस्त भूमि में नूर मोहम्मद का कोई सरोकार नही है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका नोहर द्वारा जवाब इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 एन.एच.आर–ए तहसील नोहर के खाता सं. 64/61 के प.नं. 306/437 मु.नं. 44 के किला नं. 3 की 0.2530 हैक्टेयर, 9 की 0.2530 हैक्टेयर, 12 की 0.2530 हैक्टेयर, 17 की 0.2530 हैक्टेयर, 21 की 0.2530 हैक्टेयर, 22 की 0.2530 हैक्टेयर, प.नं. 305/437 मु.नं. 45 के किला नं. 25/2 की 0.1075 हैक्टेयर भूमि 25/3 की 0.1075 हैक्टेयर भूमि गैरसायलान के नाम से थी, वाद भूमि धारा 90क राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत गैरसायल देवीलाल ने गैर कृषि प्रयोजन के उपयोग हेतु दिनांक 13.11.2020 व संशोधित आदेश दिनांक 03.12.2020 प्रकरण सं. 3/2020–21 के द्वारा नगरपालिका के नाम दर्ज की गई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी के गहन अध्ययन के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड नगरपालिका नोहर के नाम दर्ज है एवं प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के प0न0 306/437 के मु0न0 44 के किला न0 3, 8, 9, 12 की कुल 4 बीघा भूमि मेहरदीन आदि को निलामी में आवंटित हुई थी जबकि अप्रार्थी स0 1 का कथन है कि किला न0 3, 9, 12 की 3 बीघा भूमि मेहरदीन आदि को कभी भी आवंटित नही हुई थी मोहम्मद वल्द सुलेमान की खातेदारी भूमि थी और अप्रार्थी स0 1 द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के मुताबिक उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में नगरपालिका नोहर के नाम दर्ज है। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण दोनो द्वारा ही उक्त भूमि अपनी बतायी जा रही है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के हकों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य/सबूतों के आधार पर निर्धारित किया जाना उचित प्रतीत होता है अतः अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया [illegible] में साबित होता है। ऐसी स्थित में न्यायालय के अभिमत में यदि अराजी को [illegible] तो प्रार्थी को असुविधा हो सकती है अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। जब प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो गया है तो अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थीगण को होगी न की अप्रार्थीगण को।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:10 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि रोही मौजा चक 1 एनएचआर ए तहसील नोहर के खाता स0 64/61 के प0न0 306/437 मु0न0 44 के किला न0 3, 9, 12 की 0.7590 कृषि भूमि में न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक निर्माण कार्य न करे एवं उक्त भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध रहे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 26/08/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:23:10 IST
Reason: SelfAttested